मतदान करने के लिए क्या जरूरी है?

मतदाता पंजीकरण स्थिति

https://electoralsearch.in/ पर यह देखने के लिए जाएं कि क्या आप मत डालने के लिए पंजीकृत हैं। यदि आपका नाम सूची में शामिल है, तो आप मत डालने के लिए पात्र हैं, अन्यथा आपको मतदान के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। मतदाता पंजीकरण के लिए https://www.nvsp.in/ पर जाएं।

मतदान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराएं

साधारण मतदाताओं को प्ररूप 6 (ऑनलाईन प्ररूप के लिए लिंक) भरने की जरूरत है। यह प्ररूप 'पहली बार मतदाता' के लिए भी और ' वे मतदाता जो दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र में स्थानातंरित हो गए हैं,' उनके लिए हैं।

एनआरआई मतदाता को प्ररूप 6क भरने की आवश्यकता है (ऑनलाईन प्ररूप के लिए लिंक) निर्वाचक नामावली से हटाने अथवा आपत्ति करने के लिए प्ररूप 7 भरें (ऑनलाईन प्ररूप के लिए लिंक)

(नाम, फोटो, आयु, एपिक संख्या, पता, जन्म तिथि, उम्र, रिश्तेदार का नाम, रिश्ते का प्रकार, लिंग) आदि में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए प्ररूप 8 भरें।

एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निवास के एक स्थान से निवास के दूसरे स्थान में परिवर्तन करने के लिए प्ररूप 8क भरें (ऑनलाईन प्ररूप के लिए लिंक)।

कृपया ध्यान दें: यदि मतदाता एक निर्वाचन-क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है तो उसे प्ररूप 6 भरने की जरूरत है (ऑनलाइन प्ररूप के लिए लिंक)। अधिक जानकारी के लिए, कृपया http://ecisveep.nic.in/ पर मतदाता गाइड देखें।

मतदाता पंजीकरण स्थिति

आप वोट करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं यह देखने के लिए https://electoralsearch.in/ पर जाएं। यदि आपका नाम सूची में दिखाई देता है, तो आप मतदान करने के पात्र हैं, अन्यथा आपको मतदान करने के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है। मतदाता पंजीकरण के लिए https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाएं। इसके अलावा, आप मतदाता हेल्पलाइन ऐप का उपयोग मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने या ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए कर सकते हैं।

मतदान के लिए पंजीकरण हेतु अपेक्षाएं

1. भारतीय नागरिक हैं।
2. अर्हक तारीख पर, यानि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
3. जहां आप नामांकित होना चाहते हैं उस निर्वाचन-क्षेत्र के भाग/मतदान क्षेत्र के मामूली रूप से निवासी हों।
4. निर्वाचक के रूप में नामांकित होने से निरर्हित न हों।

एक नज़र

मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) अनिवार्य है. हालांकि, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, या वह गुम हो गया है तो आप अन्य दस्तावेजों के साथ वोट डाल सकते हैं.

आपको चुनाव की तारीख से पहले यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि आपके पास फोटो पहचान पत्र है या नहीं. **देश का हर वह नागरिक जो चुनावी साल में एक जनवरी को 18 साल का हो गया हो, अपने वोट का प्रयोग कर सकता है**. एक व्यक्ति को केवल एक ही जगह मतदान का अधिकार है. व्यक्ति जहां स्थायी रूप से रहता है, वहां उसे वोट डालने की सुविधा मिलती है.

जिस पते के आधार पर आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बना हो, आप उसी क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं.

वोट देने से रोका भी जा सकता है?

अगर पोलिंग अधिकारी ने आपको वोट डालने से रोक दिया तो आप एक बार उससे इसका कारण पूछ सकते हैं. अगर आपके पहचान से संबंधित दस्तावेज (पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि) दिखाकर पोलिंग अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो आपको मतदान की इजाजत दे सकता है.

इसके बिना वह आपको मतदान से वंचित कर सकता है. वोट डालने से रोकने की कार्रवाई को आप कहीं चुनौती नहीं दे सकते.

क्यों महत्वपूर्ण है वोटिंग?

आपका एक वोट अगले पांच साल के लिए आपकी और आपके इलाके की किस्मत तय करता है. आप वोटिंग के जरिये जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वह आपके इलाके के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए काम करता है.

इसके लिए जरूरी है कि आप समय पर वोट दें. मतदान केंद्र पर जाने से पहले आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहिए और सरकार की तरफ से मान्य कोई पहचान पत्र लेकर जाना चाहिए. वोट डालने के लिए क्या होना चाहिए? अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है. अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप मतदान केंद्र पर अपना फोटो वोटर स्लिप या वोटर आईकार्ड लेकर जाएं. अगर आपको वोटर स्लिप न मिला हो तो मतदान केंद्र में मौजूद बीएलओ से आप डुप्लीकेट स्लिप मांग सकते हैं.